प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य 26.10.2025

"थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत धोखाधड़ी संबंधी अभियोग में संलिप्त अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निकट निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण - :

दिनांक 25.10.2025 को वादी प्रशान्त परमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह निवासी इन्द्रानगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर (मो.नं. 9208008170) मय हमराह उदयवीर पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी इन्द्रानगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर दो अभियुक्तगण 1.ऋषभ वर्मा पुत्र दिनेश कुमार वर्मा 2. उत्कर्ष वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा निवासीगण मनफूल नगर कॉलोनी, अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर के साथ थाना सदर बाजार पर उपस्थित हुए। वादी प्रशान्त परमार द्वारा दी गई लिखित तहरीर में उल्लेख किया गया कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी की चाय की दुकान पर चाय पीने के उपरांत धोखाधड़ी करते हुए फोन पे ऐप पर फर्जी क्यूआर कोड दिखाकर भुगतान का झांसा दिया गया। वादी द्वारा अपना बैंक खाता जांचने पर यह पाया गया कि खाते में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 636/2025 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) बनाम 1.ऋषभ वर्मा पुत्र दिनेश कुमार वर्मा 2.उत्कर्ष वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा निवासीगण मनफूल नगर कॉलोनी, अजीजगंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण ऋषभ वर्मा एवं उत्कर्ष वर्मा उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित कब्जे पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. ऋषभ वर्मा पुत्र दिनेश कुमार वर्मा (उम्र 19 वर्ष) नि0 मनफूल नगर कालोनी , अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर
2. उत्कर्ष वर्मा पुत्र अनिल कुमार वर्मा (उम्र 22 वर्ष) नि0 मनफूल नगर कालोनी , अजीजगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

इन्द्रानगर फाटक के पास चाय की दुकान थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर दिनाक 25.10.25 समय 23.06 बजे।

पंजीकृत अभियोग :-

मु0अ0सं0 636/2025 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

निल

बरामदगी:-

1.एक अदद मोबाइल फोन itel रंग हल्का आसमानी मो0नं0 9336263915,आईएमईआई 1-355750328092326 , आईएमईआई 2-355750328092334

2.एक अदद मोबाइल फोन NARZO रंग काला मो0नं0 8858235036,आईएमईआई 1-867466064780757/60 , आईएमईआई 2-867466064780740/60

गिरफ्तारी पूछताछ अभियुक्तगण :-

गिरफ्तार अभियुक्तगण 1.ऋषभ पुत्र दिनेश कुमार 2. उत्कर्ष पुत्र अनिल कुमार निवासीगण मनफूल नगर कालोनी अजीजगंज थान कोतवाली जनपद शाहजहांपुर ने पूछताछ से बताया कि साहब दिनाक 25.10.25 को हम दोनो लोग इन्द्रानगर फाटक के पास चाय के खोखे पर चाय पीने के लिये गये थे चाय के तीस रुपये हुये थे दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो हमने कहा कि हमारे पास नगद पैसे नही है हमने कहा कि QRcode से online transfer कर रहे है तो हमने पहले से ही अपने फोन मे फोन पे एप्प पर फर्जी क्यूआर कोड डाउनलोड किया हुआ था उसी के माध्यम से हमने पैसा आनलाईन दुकानदार के खाते से स्केन कर दिया था जो हमने दुकान दार को दिखा दिया जब दुकानदार के एकाउन्ट मे पैसे नही आये तो उन्होने हमारा फोन लेकर चैक किया तो उन्होने फर्जी क्यू आर कोड देख लिया।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 देवेन्द्र चौधरी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

2. का0 029 सुमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर